(76)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 3242-एक/15 विरूद्ध आकदेश दिनांक 22-9-15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण क्रमांक 146/अ-6/13-14.

---

1. डब्बल जैन पिता स्व. श्री नानकचंद जैन
2. ऋषभ जैन पितास्व. श्री नानकचंद जैन
   दोनों निवासी ग्राम भमकी तहसील शहपुरा
   जिला जबलपुर ---- आवेदकगण

विरूद्ध

1. ओमकार पिता स्व. नानकचंद जैन
2. सुरेश पिता स्व. नानकचंद जैन ---- अनावेदकगण

श्री संदीप तिवारी, अधिवक्ता, आवेदकगण ।
श्री एम. एम. मुदगल, अधिवक्ता, अनावेदकगण ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15-3-2016 **को पारित)**

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 146/अ-6/13-14 में पारित आदेश दिनांक 22-9-2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम भमकी स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 18, 26 एवं 299 कुल रकबा 1.44 हैक्टर के भूमिस्वामी मृतक नानकचंद जैन थे । उनकी मृत्यु के उपरांत आवेदकों द्वारा वसीयतनामे आधार पर तथा अनावेदकों द्वारा उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन तहसीलदार, शहपुरा के समक्ष पेश किया । तहसील न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 12-8-13

द्वारा उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अनुविभागीय अधिकारी, पाटन के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 17-10-13 द्वारा स्वीकार की एवं तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए वसीयत के आधार पर आवेदकों का नामांतरण के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है । प्रकरण में जो वसीयतनामा है वह पंजीकृत होकर दो स्वतंत्र अनुप्रमाणिक साक्षियों द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रमाणित किया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि वसीयतकर्ता स्व. श्री नानकचंद जैन ने पूर्व में दिनांक 25-10-72 को रजिस्टर्ड बंटवारे के द्वारा अपने चारों पुत्रों को बराबर-बराबर संपत्ति पूर्व में ही दे दी थी तथा एक हिस्सा अपने स्वतः के लिए रखा था जिसका खसरा नं. 18, 26, 299 कुल रकबा 1.44 हैक्टर है । आवेदकों की सेवा से प्रसन्न होकर स्व. नानकचंद ने अपनी मृत्यु के पूर्व आवेदकों को वसीयतनामा द्वारा अपने हिस्से की भूमि दी गई है । स्व. श्री नानकचंद जैन का डब्बल जैन एवं ऋषभ जैन का दाह संस्कार, आदि आवेदकों द्वारा किया गया है । वसीयतनामा दिनांक 8-5-12 कहीं से भी संदिग्ध नहीं है विचारण न्यायालय द्वारा जो संदेह प्रकट किया गया है कि वसीयतकर्ता ने दिनांक 25-10-72 को रजिस्टर्ड बंटवारे नामा में अपने हस्ताक्षर किए हैं परंतु वसीयतनामा दिनांक 8-5-12 में अपना अंगूठा लगाया है, यह स्वाभाविक है कि 40 वर्ष पश्चात जब वसीयतकर्ता की उम्र 96 वर्ष की हो गई थी तो ऐसी स्थिति में हस्ताक्षर की जगह अंगूठा लगाना स्वाभाविक है इस कारण से भी वसीयतनामा संदेहपूर्ण नहीं है ।

यह तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय का यह कहना कि अनुप्रमाणित साक्षी वसीयतकर्ता के निवास के ग्राम के नहीं है परंतु उन्होंने इस तथ्य को अनदेखा किया है कि दोनों अनुप्रमाणित साक्षी ग्राम भमकी से दो किलोमीटर दूर ही रहते हैं जिसमें से एक अनुप्रमाणित साक्षी भूपेन्द्र जैन वसीयतकर्ता के साले का पुत्र है । वसीयतकर्ता को जिन व्यक्तियों पर भरोसा रहता है उन्हीं साक्षियों के समक्ष वसीयत की जाती है इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि जहां वसीयतकर्ता निवास करता हो

उसी ग्राम के साक्षी होना चाहिए इस कारण से भी विचारण न्यायालय तहसीलदार एवं अपर आयुक्त के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं ।

यह तर्क दिया गया कि वसीयत की गई संपत्ति वसीयतकर्ता की स्व अर्जित संपत्ति है जिसे वसीयतकर्ता को किसी को भी वसीयत करने की स्वतंत्रता है और वसीयतकर्ता ने अपनी इच्छा के अनुसार अपनी स्वतंत्र इच्छा से आवेदकगण के पक्ष में पंजीकृत वसीयत उप पंजीयक कार्यालय पाटन में उप पंजीयक के समक्ष वसीयत की है जो कहीं से भी संदेहपूर्ण नहीं है ।

यह तर्क दिया गया है कि अनावेदकों द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए जबाव एवं साक्षियों के कथनों में कहीं भी इस तथ्य को चुनौती नहीं दी है कि पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 8-5-12 पर वसीयतकर्ता के अंगूठे फर्जी व बनावटी हैं इस कारण से भी वसीयत कहीं से भी संदेहपूर्ण नहीं है । अनुप्रमाणित साक्षी एवं आवेदकगण के साक्षियों में कहीं भी विरोधाभाष नहीं है सभी साक्षियों ने स्व. नानकचंद द्वारा अपने पुत्रगण आवेदकगण डब्बल जैन एवं ऋषण जैन के पक्ष में उनकी सेवा से प्रसन्न होकर वसीयत की है ।

यह तर्क दिया गया कि उक्त तथ्यों को अनदेखा करने के कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की थी । अनुविभागीय अधिकारी का आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत था जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने वैधानिक त्रुटि की है । उक्त तर्को के आधार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदकगण एवं अनावेदकगण एक ही पिता की संतान हैं । अनावेदकों ने उत्तराधिकार के आधार पर आवेदन दिया था जबकि आवेदकों ने वसीयत के आधार पर । विचारण न्यायालय ने वसीयत को प्रमाणित न मानते हुए उत्तराधिकार के आधार पर जो आदेश दिया है वह उचित है । वसीयत पर अंगूठा लगाने का आधार क्या है यह आवेदकगण एवं उनकी साक्षी स्पष्ट नहीं कर सके जबकि वसीयतकर्ता हस्ताक्षर करते थे ।

यह भी तर्क दिया गया कि वसीयत में प्रश्नाधीन संपत्ति स्वअर्जित है इसका कोई उल्लेख नहीं है ना ही यह बात आवेदकों के गवाहों ने कही है ।

यह तर्क दिया गया कि वसीयत संदेह से परे साबित किया जाना आवश्यक है चाहे वह पंजीकृत ही क्यों न हो । यदि वसीयत संदेह से परे साबित नहीं की गई हो तो पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामांतरण नहीं किया जा सकता । इस संबंध में 1989 आर.एन. 269 का हवाला दिया गया है ।

यह तर्क भी दिया गया कि यदि संपत्ति से एक उत्तराधिकारी का अपवर्जन किया गया हो तो ऐसी बिल के आधार पर नामांतरण नहीं किया जा सकता । इस संबंध में उनके द्वारा 1995 आर0एन0 65 का हवाला दिया गया है । उक्त तर्को के आधार पर अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ प्रतिउत्तर में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि वसीयतनामे के अनुप्रमाणित साक्षी सशिन जैन वल्द प्रमोद जैन एवं साक्षी भूपेन्द्र जैन वल्द ज्ञानचंद्र जैन ने अपने स्पष्ट कथन किए हैं कि उन लोगों के समक्ष वसीयतकर्ता ने, उसके द्वारा की गई वसीयत को समझकर पढ़वाकर अपनी स्वतंत्र इच्छा से गवाहों के समक्ष अपना अंगूठा लगाया है । चूंकि वसीयतकर्ता बहुत कम पढ़ा लिखा था मात्र अपने हस्ताक्षर किसी तरह करते थे और उन्होंने अपने द्वारा किया गया पंजीकृत बंटवारा नामा दिनांक 25-10-72 पर भी अपने हस्ताक्षर असाधारण किए हैं और इन्हीं परिस्थितियों के कारण वसीयतकर्ता द्वारा 40 वर्ष पश्चात जबकि उनकी उम्र 96 वर्ष हो गई थी उन्होंने उप पंजीयक, पाटन एवं अनुप्रमाणित साक्षियों के समक्ष वसीयत पर अपने अंगूठे लगाये हैं जो प्रमाणित हैं ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि आवेदकगण एवं अनावेदकगण मृतक भूमिस्वामी नानकचंद जैन की संतानें हैं यह भी निर्विवादित है कि वसीयतकर्ता स्व. श्री नानकचंद जैन ने पूर्व में दिनांक 25-10-72 को रजिस्टर्ड बंटवारे के द्वारा अपने चारों पुत्रों को बराबर-बराबर संपत्ति दे दी थी तथा प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. 18, 26, 299 कुल रकबा 1.44 हैक्टर अपने स्वतः के लिए रखी थी । जिसे उसके द्वारा आवेदकों के हित में वसीयत किया गया है । उक्त भूमि का वसीयतकर्ता को वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था । न्यायदृष्टांत 2014(1) जेएलजे 199 (उच्च न्यायालय) में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि - विल का

अधिकार - संपत्ति का स्वामी - उसे स्वाभाविक वारिस को वंचित कर अन्य व्यक्ति के पक्ष में विल करने का अधिकार है । माननीय उच्च न्यायालय का यह निर्णय ए.आई. आर. 2006 एस.सी. 3282 पर आधारित है । ऐसी स्थिति में अनावेदक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि वसीयतकर्ता द्वारा संपत्ति से एक उत्तराधिकारी का अपवर्जन किया गया है इसलिए ऐसी बिल के आधार पर नामांतरण नहीं किया जा सकता ।

7/ जहां तक अनावेदक अधिवक्ता के द्वारा राजस्व मंडल के न्यायदृष्टांत 1989 आर. एन. 269 के आधार पर दिए गए इस तर्क का प्रश्न है कि पंजीकृत वसीयत निश्चायक सबूत नहीं है, अपने स्थान पर सही है परंतु उक्त न्यायदृष्टांत इस प्रकरण में लागू नहीं होता है क्योंकि आवेदकों द्वारा वसीयत को साक्षियों के कथन से संदेह से परे साबित किया गया है । न्यायदृष्टांत 1999 आर.0एन0 273 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 68- बिल - अनुप्रमाणित साक्षी द्वारा साबित किया जाना - उसे अभिसाक्ष्य देना चाहिए कि दो साक्षियों ने वसीयतकर्ता को विल पर हस्ताक्षर करते हुए देखा - साक्षियों द्वारा भी वसीयतकर्ता की उपस्थिती में हस्ताक्षर किए गए । विल वसीयतकर्ता की प्रेरणा पर बनाई गई अनुप्रमाणक साक्षियों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित तथा साबित - बिल का पंजीकरण भी कराया गया - बिल साबित । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में आवेदक का उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है ।

8/ अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि इस प्रकरण में तहसील न्यायालय द्वारा वसीयत के साक्षियों द्वारा किए गए कथनों की विवेचना न्यायिक दृष्टि से नहीं की गई है जबकि वसीयतनामा के दोनों साक्षियों सशिन जैन वल्द प्रमोद जैन एवं भूपेन्द्र जैन वल्द ज्ञानचंद जैन द्वारा वसीयत को अपने साक्ष्य में प्रमाणित किया गया है । दोनों साक्षियों ने अपने कथनों में स्पष्ट किया गया है कि वसीयतनामा पर वसीयतकर्ता द्वारा अंगूठा उनके समक्ष लगाया गया है । वसीयतकर्ता द्वारा दिनांक 8-5-12 को उप पंजीयक कार्यालय में जाकर वसीयत पंजीकृत कराने 15 दिन पश्चात मृत्यु हो जाने के कारण वसीयत संदिग्ध मानना न्यायोचित नहीं है । जहां तक वसीयतकर्ता द्वारा वसीयतनामे पर अंगूठा लगाने का प्रश्न है यह स्वाभाविक है कि 40 वर्ष पश्चात जब

वसीयतकर्ता की उम्र 96 वर्ष की हो गई थी तब ऐसी स्थिति में हस्ताक्षर की जगह अंगूठा लगाना स्वाभाविक है । अतः अंगूठा लगाने के आधार पर भी साक्ष्य से प्रमाणित की गई वसीयत को संदिग्ध मानने में न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की गई है । अतः इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है उनके द्वारा उक्त तथ्यों को पूरी तरह अनदेखा किया गया है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने में न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की गई है, इस कारण अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक अपील 146/अ-6/13-14 में पारित आदेश दिनांक 22-9-15 त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक होने से निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी, पाटन द्वारा प्रकरण क्रमांक 115/अ-6/12-13 में पारित आदेश दिनांक 17-10-13 स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर